

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

—:: कार्यालय आदेश ::—

राजस्थान लोक सेवा आयोग के पत्र क्रमांक :- एफ. 7(01)परीक्षा/प्राध्यापक/(स्कूल शिक्षा)/राजस्थानी (छात्र संस्थाए)/2018-19/2552 दिनांक : 11.12.2020 के द्वारा प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा)- राजस्थानी के पद पर पे-मैट्रिक्स लेवल (L-12) पर चयनोपरांत संलग्न सूची में विवरणांकित अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु अभिस्तावित किये जाने के फलस्वरूप इन अभ्यर्थियों को प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा)- राजस्थानी के पद पर 02 वर्ष के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (प्रोवेशनर ट्रेनी) के रूप में नियुक्ति प्रदान की जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा)- राजस्थानी के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है। इन्हें परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में कार्यग्रहण करने की दिनांक से राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक : एफ 12(06)एफडी(नियम)/2005 दिनांक : 13.03.2006 एवं वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक : प. 15(1)वित्त/नियम/2017 दिनांक : 30.10.2017 एवं दिनांक : 09.12.2017 (Schedule IV/Rule No. 16) के प्रावधानानुसार राजकीय सेवा में पूर्व से कार्यरत चयनित अभ्यर्थियों को विकल्प के आधार पर विद्यमान वेतन/नियत पारिश्रमिक एवं नव चयनित कार्मिकों को नियत पारिश्रमिक नियमानुसार देय होगा। वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक : एफ.13(1)एफडी/नियम/2003 जयपुर, दिनांक : 28.01.2004, एफ13(1)एफडी/नियम/2003 जयपुर, दिनांक : 27.03.2004 एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के प्रावधानान्तर्गत इनकी नियुक्ति अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत होगी।

सम्बन्धित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित बिन्दुओं पर कार्यवाही आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेंगे :-

1. अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण-पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा ही जारी किया गया हो जो कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर होना चाहिए एवं नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि "अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है अर्थात् अनुसूची में वर्णित व्यक्ति क्रीमीलेयर का नहीं है तथा उक्त तथ्य सक्षम अधिकारी द्वारा काटा नहीं होना चाहिए"। यदि कोई अभ्यर्थी क्रीमीलेयर की श्रेणी में आता है तो उनको कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे एवं वस्तुस्थिति की जानकारी तत्काल इस कार्यालय को भिजवाई जावे।
2. अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र माता पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना वांछित है। विवाहित महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र जारी किया हुआ हो तो वह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, संबंधित अभ्यर्थी अपनी माता-पिता की आय के आधार पर जारी पिता के नाम से सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही मान्य होगा। यदि संबंधित अभ्यर्थी ऐसा नहीं करता है तो उसे कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे एवं वस्तुस्थिति की जानकारी तत्काल इस कार्यालय को भिजवाई जावे।
3. अभ्यर्थी के शैक्षिक/प्रशैक्षिक अंकतालिकाओं/प्रमाण पत्रों एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त की जाकर उनका मूल दस्तावेजों के साथ मिलान करें। संबंधित अभ्यर्थियों से मूल निवास प्रमाण पत्र, विवाहित अभ्यर्थियों से विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, तलाकशुदा/विधवा महिलाओं से पुनर्विवाहित नहीं होने सम्बन्धी शपथ पत्र एवं अन्य नाम-उपनाम सम्बन्धी शपथ पत्रादि प्राप्त करने के उपरांत ही इन्हें कार्यग्रहण करवाया जावे। आवेदन करने के तत्पश्चात् तलाकशुदा/विधवा महिलाओं द्वारा पुनर्विवाह वाले प्रकरणों में अभ्यर्थियों से आवेदन करने से पूर्व पुनर्विवाह नहीं करने संबंधी आशय का शपथ पत्र अवश्य लेवे।
4. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक : एफ.7(1)डीओपी/ए-11/2019 जयपुर, दिनांक : 20.10.2019, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र क्रमांक : एफ.11()/आ.क.व./डीडीबीसी/सान्याअवि /19/14279-330 जयपुर, दिनांक : 12.03.2019 एवं क्रमांक : एफ.11()/आ.क.व./डीडीबीसी/सान्याअवि /19/62866-63066 जयपुर, दिनांक : 22.10.2019 एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/आदेशों के अनुसरण में निर्धारित प्रपत्र में होना चाहिए तथा उक्त प्रमाण पत्र माता पिता की आय के आधार पर जारी होना वांछित है। विवाहित महिला आवेदकों के मामलों में पति व पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र मान्य होगा, उपरोक्तानुसार स्थिति नही होने के परिप्रेक्ष्य में कार्मिक को कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे तथा प्रकरण तत्काल इस कार्यालय में प्रस्तुत किया जावे।
5. उक्त नियुक्तियां राजस्थान शिक्षा सेवा नियम-1970 और सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं शर्तों के अधीन हैं।
6. सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की मूल प्रति ही प्राप्त कर कार्यालय अभिलेख में सुरक्षित रखेंगे तथा कार्मिक की व्यक्तिगत पंजिका में भी संलग्न किया जावे। जो अभ्यर्थी पूर्व से ही राजकीय सेवा में कार्यरत हैं, उनके लिये यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा।
7. राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक :- पं.1(1)कार्मिक/क-2/2016 जयपुर, दिनांक 04.12.2019 के अनुसरण में कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित जिला पुलिस-अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी सदाचरण जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत एवं सदाचरण जांच प्रतिवेदन में कोई विपरीत टिप्पणी नही होना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा स्थिति में कार्यग्रहण नहीं करवावे। अभ्यर्थी की सदाचरण जांच प्रतिवेदन में विपरीत टिप्पणी पायी जाती है या अभ्यर्थी द्वारा सदाचरण जांच प्रतिवेदन कार्यग्रहण करने से पूर्व प्रस्तुत नहीं किये जाने के उपरान्त भी संस्था प्रधान द्वारा कार्यग्रहण करवाया जाता है तो संस्था प्रधान के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। जो अभ्यर्थी पूर्व से ही राजकीय सेवा में सेवारत हैं, उनके लिये सदाचरण जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु न्यायिक/भ्रष्टाचारी/इत्यादि कोई भी प्रकार का मुकदमा/प्रकरण विचाराधीन नही होने सम्बन्धी आशय का आवश्यक शपथ पत्र 50/- रु. का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्राप्त किया जावे।
8. पूर्व से राजकीय सेवा में कार्यरत कार्मिकों से विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जावे।

9. आवेदक द्वारा दहेज एवं धुम्रपान सम्बन्धी स्व-घोषणा पत्र प्राप्त किया जावे।
10. यदि राज्य सरकार की राय में इनका कार्य या आचरण परिवीक्षा की समयावधि में संतोषप्रद नहीं पाया जावे अथवा यह प्रतीत हो कि इनमें एक दक्ष प्राध्यापक होने की क्षमता नहीं है तो सरकार इन्हें सेवा से तुरंत विमुक्त कर सकेगी।
11. नियुक्त अभ्यर्थी जो विवाहित है, उन्हें अपना विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र एवं जीवित संतान/संतानों का घोषणा पत्र (संलग्न प्रारूप में) उपस्थिति के समय प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उपस्थिति की अनुमति प्रदान नहीं की जावे। दिनांक 01.06.2002 को अथवा पश्चात् दो से अधिक सन्तान होने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के पात्र नहीं हैं परन्तु यदि प्रथम प्रसव से एक जीवित सन्तान है एवं पश्चात्तवर्ती प्रसव में एक से अधिक सन्तान होने पर ऐसी सन्तानों को एक इकाई ही माना जायेगा।
12. भूतपूर्व सैनिक वर्ग में चयनित अभ्यर्थियों से अपेक्षित NOC FOR CIVIL JOB, NOC FOR HIGHER EDUCATION, RETIREMENT DIARY, PPO दोहरा लाभ संबंधी दस्तावेज/शपथ पत्र एवं नियुक्ति पूर्व संबंधित प्राधिकारी को प्राध्यापक-स्कूल शिक्षा भर्ती परीक्षा 2018 के पद हेतु आवेदन करने की सूचना आदि दस्तावेज प्राप्त करते हुए शासन द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक : प.5(18)कार्मिक/क-2/84 पार्ट जयपुर, दिनांक 21.05.2019 को दृष्टिगत रखते हुए कार्यग्रहण संबंधी कार्यवाही सम्पादित करावे।
13. चयनित अभ्यर्थी विभाग की वेबसाईट <http://education.rajasthan.gov.in/> से नियुक्ति आदेश की प्रति डाउनलोड कर समस्त आवश्यक औपचारिकताएँ पूर्ण करते हुए संबंधित पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार करने हेतु अधिकृत होंगे।
संलग्न सूची में अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित पदस्थापित स्थान पर दिनांक : ~~10-04-21~~ तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज/सूचनाएं/तथ्य सही नहीं पाये जाने पर बिना किसी नोटिस के इनकी सेवाएं समाप्त कर दी जावेंगी। राज्य में विधानसभा उपचुनाव-2021 के मध्ययनजर चुरू, राजसमन्द एवं भीलवाड़ा जिले में चयनित अभ्यर्थियों को संबंधित संस्थाप्रधान आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करते हुए, कार्यग्रहण/कार्यमुक्ति की कार्यवाही सम्पादित करवाई जावे।
संलग्न सूची :- अभ्यर्थियों की संख्या (1-5)

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर
दिनांक : 18/03/2021

क्रमांक : शिविरा/मा./संस्था/सी-5/नियु. पीएससी. 2018/राजस्थानी/2021/6-8

➤ प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. शासन सचिव माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, शिक्षा(ग्रुप-2)विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, संभाग।
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (मुख्यालय)।
6. समस्त संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त क्रम में कार्यग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की सूचना समेकित कर, संकलित सूचना तत्काल इस कार्यालय में वाहक स्तर पर प्रेषित की जावे, साथ ही अपने अधीनस्थ संस्थाप्रधान से इस आशय का शपथ पत्र अवश्य प्राप्त कर, इस कार्यालय में प्रेषित करें।
7. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. अनुभाग अधिकारी, डीपीसी अनुभाग, कार्यालय हाजा।
9. सहायक निदेशक, संस्थापन (सी-1,2,3 व 4)/वरिष्ठता अनुभाग, कार्यालय हाजा।
10. संबंधित प्रधानाचार्य, राउमावि /संबंधित कार्मिक।
11. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्र. सं.	रोल नं.	नाम	पिता का नाम	स्थाई पता	जन्म तिथि	वर्ग	चयन वर्ग	विशेष वर्ग	मेरिट क्रमांक	पदस्थापन स्थान	जिला	फोटो
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	193512	RAM SINGH BITHU	SO NARSI DAN BITHU	MULO KA BASS, SINTHAL, BIKANER (334202)	18-06-1990	BC,NG, RG	GENM		1	M.M. GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BIKANER (211256), BIKANER	BIKANER	
2	214053	HARI SINGH SAHU	KASHI RAM	WARD NO.03, VILL- MALIYA, PO-SONARI, HANUMANGARH (335523)	11-02-1992	BC	GENM		2	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL PARLIKA (212336), NOHAR	HANUMAN GARH	
3	171712	MANOJ KUMAR	JASSA RAM KHURKHURIYA	VARD NO 2 , MUGDARA, TEH. RIYAN BADI, NAGAUER (341510)	10-08-1990	BC,RG	GENM		3	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BUGARDA (219596), JAYAL	NAGAUER	
4	190671	BHAGAT SINGH CHUNDAWAT	LADU SINGH CHUNDAWAT	VPO DAHIMATHA, KAREDA, BHILWARA (311804)	17-03-1987	GE,EWS	GENM		4	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL AHMEDPURA CHOWKI (221947), TONK	TONK	
5	325880	BHOM DAN	MOOL DAN	VPO DHANDHANIYA SASAN, TEH BALEAR, JODHPUR (342001)	07-07-1996	BC	OBCM		5	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SARANA AAHOR JALOR (221088), AAHOR	JALOR	


(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस.
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर